EAST COAST RAILWAY

प्रमुखमुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Pr.Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

सथापनाक्रमांक/ Estt. Srl. No.07/2019
पूतरे/कार्मिक/आर/ECoR/Pers/R/Promotion

RBE No. 205/2018
Date: 08.01.2019

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकरी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Ad-hoc promotion to Senior sacle in Law Department,

******

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(GP)99/1/33 दिनांक 28.12.2018की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's Lr. No- E(GP)99/1/33 dated 28.12.2018 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

08/01/19
(R.C. Sethy)
Asst. Personnel Officer(HQ)
For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-1),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(बिल), सहा.कार्मिक अधि.(भर्ती)

RB - 01
क्र.सं/Sl.No.......
दिनांक/Date 2/1/19
हस्ताक्षर/Initial........

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

R.B.E. No.205 /2018

No. E(GP)99/1/33

New Delhi, dated 28 .12.2018

The General Managers/Director General,
All Indian Railways / Production Units/RDSO

Sub: Ad-hoc promotion to Senior Scale in Law Department.

In terms of Board's letters No. E(GP)81/1/91 dated 01.04.91 and No. E(GP)96/1/11 dated 03.09.1996, read with letter No. E(GP)99/1/33 dated 14.03.2012, Group 'B' Officers of Law Department, who have not put in 8 years of regular service in Group 'B', when detailed to look after duties in Senior Scale or are promoted on ad-hoc basis, are eligible to draw charge allowance of Rs. 1500/- p.m. subject to the condition that pay plus charge allowance should not exceed the pay that would have been admissible had the pay been fixed under Rule 1313 (FR 22) R-II on regular promotion. However, such officers are entitled to draw pay in Senior Scale, as may be admissible under the normal rules, only on completion of 8 years of regular service in Group 'B'.

2. As per the revised Recruitment Rules of Law Department (viz. Railways Deputy Chief Law Officer, Senior Law Officer and Law Officer (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2017), notified vide Notification dated 22.12.2017, Group 'B' officers with 6 years of regular service in Group 'B' are eligible for consideration for regular promotion to Senior Scale. In view of the above, Group 'B' officers of Law Department, when promoted to Senior Scale on ad-hoc basis, may be allowed to draw pay in Senior Scale [GP Rs.6600/- (pre-revised)/Level 11 as per 7th CPC], as may be admissible under the normal rules on completion of 6 years of regular service in Group 'B', as prescribed in the revised Recruitment Rules.

(N.K.SHARMA)
DIRECTOR, ESTT.(GP)
RAILWAY BOARD

Copy forwarded to :-

1. PSs to MR, MOS(S) and MOS(G),OSD/MR
2. PPSs to CRB, FC, MS, MRS, MT, MTR, ME.
3. PPSs to all Addl. Members.
4. Dy.C&AG(Railways), Room No 222, Rail Bhawan.
5. PS to AM (Staff), PED(Vig), EDE, EDA, EDE(N), EDE(Res.), JS, JS(E), JS(G), ED(E&R), EDE(GC), EDV(E), ED(Signal), EDV(S), EDF(E), ED(T&MPP), EDE(RRB), EDPC-I, DV(P), DE(L), DE(Res), DE(G), D(IH), JD(MPP), JDE(Rep)I&II, JDE(D&A), JDE(P&A), DPCI&II, JDE(L), DDE(R)-I (With 2 Spares) DDF(E)I, DDF(E)VI, DDV(A&P), Accounts III, E(NG)I, E(O)III, DDRS(G), DDE(LR)I, Sec(E), PC-V, E&R, E(MPP), V(SS), E(SCT)I&II.
6. The Secretary General, Indian Railways Promotee Officers' Federation, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)
****

सं. ई(जी.पी.)99/1/33

आर.बी.ई. सं. 205/2018
नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2018

महाप्रबंधक/महानिदेशक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/अ.अ.मा.सं.

विषय: विधि विभाग में वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नति

बोर्ड के दिनांक 14.03.2012 के पत्र सं. ई(जीपी)/99/1/33 के साथ पठित दिनांक 01.04.91 के पत्र सं. ई(जीपी)81/1/91 और दिनांक 03.09.1996 के पत्र सं. ई(जीपी)96/1/11, के अनुसार विधि विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी, जिन्होंने वरिष्ठ वेतनमान में कार्यों की देखभाल के लिए तैनात किए जाने अथवा तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने के समय ग्रुप 'बी' में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं की है, इस शर्त पर प्रतिमाह रुपये 1500/- प्रभार भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं, कि उनका वेतन और प्रभार भत्ते का जोड़ उस वेतन से अधिक नहीं होगा, जो नियमित पदोन्नति होने पर नियम 1313 (एफआर 22) आर-II के अंतर्गत निर्धारित किए जाने पर प्राप्त होता । बहरहाल, ऐसे अधिकारी ग्रुप 'बी' में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर ही सामान्य नियमों के अंतर्गत यथा लागू वरिष्ठ वेतनमान में वेतन प्राप्त करने के पात्र हैं।

2. विधि विभाग के संशोधित भर्ती नियमों (यथा रेलवे उप मुख्य विधि अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं विधि अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पदों) भर्ती नियम, 2017) के दिनांक 22.12.2017 की अधिसूचना के तहत ग्रुप 'बी' में 6 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले ग्रुप 'बी' अधिकारी, वरिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विधि विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने पर संशोधित भर्ती नियम 2017 के अनुसार ग्रुप बी में 6 वर्षों की नियमित सेवा पूरा करने पर सामान्य नियमों के तहत यथा लागू वरिष्ठ वेतनमान (ग्रेड पे रूपये 6600/-(संशोधन पूर्व)/सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल 11) में वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

एन. के. शर्मा
(एन. के. शर्मा)
निदेशक, स्था.(राज.पदो)
रेलवे बोर्ड